न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/4426/2005/जयपुर

1– श्रीमती सत्यरानी निगम धर्मपत्नी स्व0 श्री विरेन्द्र कुमार, जाति कायस्थ, निवासी प्लॉट नम्बर 8, राजामल का तालाब, चॉदी की टकसाल, तहसील व जिला जयपुर।
2– महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री विरेन्द्र कुमार, जाति कायस्थ, निवासी प्लॉट नम्बर 8, राजामल का तालाब, चॉदी की टकसाल, तहसील व जिला जयपुर।
3– श्रीमती जीवनलता पुत्री स्व0 वीरेन्द्र कुमार धर्मपत्नी श्री राकेश कुमार निगम, जाति कायस्थ, निवासी प्लाट नम्बर 563, गुरुरामदासर नगर, गली नम्बर 2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।
4– श्रीमती पुष्पलता पुत्री स्व0 श्री वीरेन्द्र कुमार धर्मपत्नी तरुण सक्सेना, जाति कायस्थ, मार्फत राकेश निगम, प्लाट नम्बर 563, गुरुरामदास नगर, गली नम्बर 2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।
5– श्रीमती किरण पुत्री स्व0 वीरेन्द्र कुमार धर्मपत्नी सुशील कुमार सक्सेना, जाति कायस्थ, निवासी प्लाट नम्बर 57, गुरुरामदासर नगर, वन विहार कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर
6– श्रीमती विजयलक्ष्मी पुत्री स्व0 वीरेन्द्र कुमार धर्मपत्नी श्री संजय जौहरी, जाति कायस्थ, निवासी प्लाट नम्बर 7/654, गोविन्दपुरा, नई दिल्ली हाल निवासी श्री संजय जौहरी जे–1, सैकण्ड फ्लोर, डी0डी0ए0 फ्लैट्स, कालकाजी, नई दिल्ली।

7– डॉ0 महेश निगम
8– सुरेशचन्द्र निगम
9– नरेश चन्द्र निगम
10– हरीश चन्द्र निगम
11– अरुणेश निगम

} पुत्रान श्याम बिहारी लाल निगम नि0मकान नम्बर 1867 निगम हाउस, घीवालों का रास्ता, जौहरी बाजार,जयपुर

12– श्रीमती प्रभा धर्मपत्नि श्री विमलकान्त वर्मा, निवासी मकान नं. 97, विद्यापार्क कॉलोनी, अमेनेटी हॉल के सामने, एयरपोर्ट के पास, जोधपुर।
13– श्रीमती अनीता माथुर धर्मपत्नी राकेश माथुर, निवासी डी–166, मोती मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
14– श्याम बिहारी लाल निगम पुत्र स्व0 हिम्मत बहादुर निगम, निवासी मकान नम्बर 1867, निगम हाउस, घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– आनन्द बिहारी बोहरा पुत्र श्री हरिनारायण बोहरा, जाति पुरोहित, निवासी चौकडी पुरानी बस्ती, जयलाल मुंशी का रास्ता, जयपुर
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर
3– जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, जवाहरलाल नेहरु मार्ग, जयपुर।

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ

श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्री मुकेश जैन/ श्री अरुण शर्मा , अधिवक्तागण अपीलार्थी
श्री बसंत विजयवर्गीय, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः – 28.08.2019

हस्तगत अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") के अंतर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 120/2003 शीर्षक श्रीमती सत्यरानी बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण/अपी0 द्वारा सहायक कलक्टर, जयपुर के न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया कि मौजा जयसिंहपुरा खोह में वादी की मकबूजा काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1764/2535, 1766, 1767, 1768 साबिक खसरा नम्बर 1567 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा, 1569 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, 1570 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा, 1571 रकबा 49 बीघा 17 बिस्वा है जिस पर वादीगण बराबर काश्त करते आ रहे हैं और सम्वत् 2012 से अब तक खसरा गिरदावरी में वादी के नाम का इन्द्राज बराबर होता आ रहा है। पूर्व में आराजी केसरा पुत्र छीतर वारिस मांग्या पुत्र खीबरा व पांचू पुत्र गोकुल चौगान पुत्र चन्दा की खातेदारी में थी जिन्होंने वादीगण को काश्त के लिए व लगान अदा करने व पाला पानी काटने के लिए दे कर चैत्र बुदी 10 सम्वत् 2012 को तहरीर व तकमील कर दिया और तभी से वादीगण का कब्जा काश्त चलता आ रहा है। उक्त आराजी को अविधिक रुप से ग्राम पंचायत जयसिंह पुरा खोह द्वारा आवंटित कर दिया है। इसी प्रकार से आनन्द बिहारी बोहरा द्वारा डिप्टी कलेक्टर, जागीर से खसरा नम्बर 1766, 1767 में से 15 बीघा आराजी को अपने नाम आवंटित करा लिया है। किन्तु प्रश्नगत आराजी पर कब्जा आवंटियों का नहीं हो कर वादीगण का है। वादीगण द्वारा वादपत्र में अनतोष चाहा गया कि दावा वादी डिक्री कर आराजी खसरा नम्बर 1734/2535 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा, 1766 रबा 6 बीघा 5 बिस्वा, 1767 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा, 1768 रकबा 49 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 71 बीघा 9 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 1567 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा, 1569 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, 1570 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा, 1571 रकबा 49 बीघा 17 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए और प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाए कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की व्यवधान नहीं करें। प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया गया और अंकित किया कि वादी का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। डिप्टी कलक्टर, जागीर के आदेश दिनांक 8–7–1965 के द्वारा अलाट होने पर एवं राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 1–5–1968 को प्राप्त होने पर दिनांक 25–9–1991 को कब्जा प्रतिवादी संख्या–2 के पक्ष में दिया गया है। इसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 666 दिनांक 1–11–1991 को स्वीकृत किया गया है। आराजी सम्वत् 2012–16 में प्रभाती लाल की खातेदारी में थी और इसके बाद सिवाय चक दर्ज हुई है। इनके द्वारा फर्जी तरीके से गश्त गिरदावरी में अंकन किए गए हैं। दावा

वादी खारिज किया जाए। प्रतिवादी संख्या–3 जे0डी0ए0 की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया गया कि खसरा नम्बर 1766 व 1767 की आराजी में से रकबा 15 बीघा प्रतिवादी संख्या–2 के नाम अंकित है और शेष आराजी जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है। वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी नहीं होने से दावा खारिज योग्य है।

3– परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (प्रथम), जयपुर ने निर्णय दिनांक 27–01–2003 से वादी का वाद खारिज किया और प्रश्नगत आराजी को रिसीवरी से मुक्त किया जा कर कब्जा जयपुर विकास प्राधिकरण को दिए जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने निर्णय दिनांक 31–05–2005 से अपील खारिज की है, जिसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी–वादी ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के सम्बन्ध में पूर्ण रुप से परीक्षण किए बिना निर्णय पारित किए हैं जो कि निरस्त किये जाने योग्य हैं। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि प्रकरण में निहित भूमि राजकीय भूमि नहीं है बल्कि पूर्व में ये भूमि केसरा पुत्र छीतर, मांग्या पुत्र खीबरा व पांचू पुत्र गोकुल एवं चौगान पुत्र चन्दा की खातेदारी में अंकित थी जिन्होंने वादीगण को काश्त के लिए व लगान अदा करने व पाला पानी काटने के लिए दे कर चैत्र बुदी 10 सम्वत् 2012 को तहरीर व तकमील कर दिया और तभी से वादीगण का कब्जा काश्त चलता आ रहा है। राजस्व अभिलेख में भूमि को बिना किसी अधिकार के गलत प्रकार से सिवाय चक अंकित किया गया है, जो कि अवैध एवं शून्य अंकन हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से ही वादीगण का आराजी पर कब्जा काश्त चलता आ रहा है और वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई खसरा गिरदावरियों में वादीगण का कब्जा काश्त अंकित होता चला आ रहा है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, जयपुर ने दिनाक 29–7–1970 को निर्णय में अंकित किया है कि विवादित भूमि पूर्व में खातेदारी की थी और उनके द्वारा प्रश्नगत आराजी को वादीगण के पक्ष में नियमन करने की सिफारिश भी की है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि पूर्व में जमाबंदी नहीं बनाई गई थी और ये प्रावधान किया गया था कि जहॉ जमाबंदी तैयार नहीं की गई है वहॉ खसरा गिरदावरी को ही राजस्व अभिलेख का दर्जा प्राप्त होगा। विवादित भूमि को ना तो कभी अवाप्त किया और ना ही किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के आधार पर खातेदारी अधिकारों को समाप्त किया गया है। क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुए सम्वत् 2015–34 में आराजी को सिवाय चक दर्ज किया गया था। मात्र राजस्व अभिलेख के गलत अंकनों के आधार पर भूमि को राजकीय भूमि होना नहीं माना जा सकता है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि दौराने दावा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 आनन्द बिहारी के मध्य राजीनामा हो गया और राजीनामा के आधार पर खसरा नम्बर 1569, 1570 हाल खसरा नम्बर 1766, 1767 जो कि आनन्द बिहारी को आवंटन की गई थी और इसका नामांतरकरण आवंटी के पक्ष में हो गया था, उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या–1 की खातेदारी में रहना स्वीकार किया गया था और इस राजीनामा के विरुद्ध अप्रार्थीगण की और से कोई

कार्यवाही नहीं की गई है। समस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त है और रिसीवर ने वादीगण से ही ये भूमि ली थी। अतः उक्त भूमि को जे0डी0ए0 के पक्ष में कब्जा सौंपने का आदेश दिनांक 27–1–2003 पूर्णतया अनुचित है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी तनकीवार निर्णय नहीं कर आदेश 41 नियम 31, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना नहीं की है। योग्य अधिवक्ता बहस में आगे कथन किया कि आराजी को रिसीवरी में लिए जाने से पूर्व कब्जा वादीगण का होने से, कब्जा वादीगण को ही सुपुर्द किया जाना चाहिए था। राजीनामा के अनुसार कब्जा वादीगण को दिया जाना आवश्यक है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाये और दावा वादीगण डिक्री किया जा कर कब्जा वादी को सुपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5– रैस्पो0/प्रतिवादीगण पक्ष की ओर से योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं और आर0आर0टी0 2004 (2) एच0सी0 पेज 924 एवं आर0आर0टी0 2014–15 (सप्ली) एच0सी0 पेज 401 के अनुसार समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। आदेश 41 नियम 31, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान समवर्ती निर्णय एवं डिक्रीयों पर लागू नहीं होते हैं। आर0एल0डब्ल्यू0 2004 (4) राज0 पेज 2358, ए0आई0आर0 2008 एस0सी0 पेज 673 प्रस्तुत की। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि वादीगण जिस तहरीर का कथन कर रहे हैं वह अपंजीकृत दस्तावेज है और आर0आर0टी0 2019 (1) एस0सी0 पेज 145 एवं आर0आर0टी0 2019 (1) एस0सी0 पेज 332 के अनुसार अपंजीकृत तहरीर के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि रही है और राजकीय भूमि होने से वादीगण की हैसियत मात्र अतिक्रमी की रहती है तथा आर0आर0टी0 2010 (1) आर0बी0 पेज 157 एवं आर0आर0टी0 2007 (2) आर0बी0 पेज 1181के अनुसार राजकीय भूमि पर कब्जेधारी की हैसियत मात्र एक अतिक्रमी की होती है जिसे किसी प्रकार के हकूक अर्जित नहीं होते हैं। आर0आर0टी0 2019 (1) आर0बी0 पेज 288, आर0आर0टी0 2014 (2) आर0बी0 पेज 762, आर0आर0टी0 2013 (2) आर0बी0 पेज 1164 के अनुसार कब्जे के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार अर्जित नहीं हो सकते है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने प्रकरण में दस्तावेजी व अन्य उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विस्तृत रुप से विवेचन करते हुये अपने निर्णय पारित किए हैं जिनमें किसी प्रकार का तथ्यात्मक या विधिक भूल नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन–अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादीगण की ओर से परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादपत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया था कि “प्रश्नगत आराजी पर वादीगण बराबर काश्त करते आ रहे हैं और सम्वत्

2012 से अब तक खसरा गिरदावरी में वादी के नाम का इन्द्राज बराबर होता आ रहा है। पूर्व में आराजी केसरा पुत्र छीतर वारिस मांग्या पुत्र खीबरा व पांचू पुत्र गोकुल चौगान पुत्र चन्दा की खातेदारी में थी जिन्होंने वादीगण को काश्त के लिए व लगान अदा करने व पाला पानी काटने के लिए दे कर चैत्र बुदी 10 सम्वत् 2012 को तहरीर व तकमील कर दिया और तभी से वादीगण का कब्जा काश्त चलता आ रहा है। उक्त आराजी को अविधिक रुप से ग्राम पंचायत जयसिंह पुरा खोह द्वारा आवंटित कर दिया है। इसी प्रकार से आनन्द बिहारी बोहरा द्वारा डिप्टी कलेक्टर, जागीर से खसरा नम्बर 1766, 1767 में से 15 बीघा आराजी को अपने नाम आवंटित करा लिया है। किन्तु प्रश्नगत आराजी पर कब्जा आवंटियों का नहीं हो कर वादीगण का है।" पत्रावली में जो राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार यह स्पष्ट नहीं होता है कि मृतक मोहन स्वरुप सम्वत् 2012 से पूर्व प्रश्नगत आराजी का कृषक के रुप में दर्ज था या उसकी किसी प्रकार की काश्त दर्ज रही हो। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में अंकित किया है कि "नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2008 प्रदर्श पी.18 में गत खसरा नम्बर 1567 में मांग्या, 1569 में नेहनू, 1570 में बींजा, 1571 में मांग्या का नाम कृषक के कॉलम में अंकित है और केवल सम्वत् 2010–11 में गत खसरा नम्बर 1567 कहीं बाजरा काश्त अंकित है अन्यथा सम्वत् 2008–09, 2011 में बंजड अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012–15 में खसरा नम्बर 1571 में मांग्या का नाम कृषक के कॉलम में अंकित है और सियालू व उन्हालू सिंचित व असिंचित के कॉलम 2009–14 (सम्वत् 2012), कॉलम संख्या 17 से 22 (सम्वत् 2013), कॉलम संख्या 25–30 (सम्वत् 2014), कॉलम संख्या 33–38 (सम्वत् 2015) खाली है। अर्थात् किसी प्रकार का अंकन नहीं है। कृषि शून्य क्षेत्रफल का इंद्राज कॉलम संख्या 15 (सम्वत् 2012), कॉलम संख्या 23 (सम्वत् 2013), कॉलम संख्या 31 (सम्वत् 2014) कालम संख्या 39 (सम्वत् 2015) में भूमि बंजड अंकित है। कॉलम संख्या 16 व 32 में मोहन स्वरुप का नाम अंकित किया गया है, जिसे काश्तकार की श्रेणी मे नहीं माना जा सकता है। उक्त कॉलम में मोहन स्वरुप का नाम किस आदेश से अंकित किया गया है, का नोट अंकित नहीं है। सारतः सम्वत् 2008 से 2011 और 2012 से 15 में वादी पक्ष की कोई काश्त दर्ज नहीं रही है और न ही उपकृषक के कॉलम में कोई नाम अंकित रहा है। राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय वादी पक्ष कभी उप कृषक या कृषक या खातेदार की हैसियत से दर्ज नहीं रहा है।" न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2019 (1) आर0बी0 पेज 241 के मतानुसार खसरा गिरदावरी के अंकनों के आधार पर किसी प्रकार के हकूक अर्जित नहीं हो सकते हैं और आर0आर0टी0 2019 (1) आर0बी0 पेज 288, आर0आर0टी0 2014 (2) आर0बी0 पेज 762, आर0आर0टी0 2013 (2) आर0बी0 पेज 1164 के अनुसार कब्जे के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार अधिकार अर्जित नहीं हो सकते हैं। अतः वादीगण द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर जो खातेदारी अधिकार चाहे गये हैं उन्हें अस्वीकार करने में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने किसी प्रकार की भूल नहीं की है। प्रकरण में सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि अंकित रही है और तहसीलदार के आदेश दिनांक 14–9–1962 से अतिक्रमी मानते हुये बेदखली का आदेश दिया गया है। तहसीलदार की ओर से जो

जबाबदावा प्रस्तुत किया गया है उसमें भी अंकित किया गया है कि वादी द्वारा कभी काश्त नहीं की गई है और भूमि सदैव से सिवाय चक अंकित रही है। सिवायक चक होने से ही भूमि को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन की सिफारिश की गई थी किन्तु राज्य सरकार की स्वीकृति के अभाव में किसी को कब्जा नही दिया गया। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने भी अपने निर्णय में माना है कि "भूमि की किस्म सिवाय चक सरकारी भूमि होने से वादी यदि कुछ वर्षों तक विवादित भूमि के किसी भाग पर काबिज भी रहा है तो वह बतौर अतिक्रमी काबिज रहा है जिसके आधार पर वादी को अधिकार अर्जित नहीं हो सकता हैं। " स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि होने से वादीगण की हैसियत मात्र अतिक्रमी की रहती है तथा आर0आर0टी0 2010 (1) आर0बी0 पेज 157 एवं आर0आर0टी0 2007 (2) आर0बी0 पेज 1181 के अनुसार राजकीय भूमि पर कब्जेधारी की हैसियत मात्र एक अतिक्रमी की होती है जिसे किसी प्रकार के हकूक अर्जित नहीं होते हैं।

8- प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादीगण द्वारा वादपत्र का मुख्य आधार यही लिया गया है कि वादीगण को काश्त के लिए व लगान अदा करने व पाला पानी काटने के लिए दे कर चैत्र बुदी 10 सम्वत् 2012 को तहरीर व तकमील कर दिया और तभी से वादीगण का कब्जा काश्त चलता आ रहा है। स्पष्ट है कि अपंजीकृत तहरीर के आधार पर वादीगण द्वारा वाद लाया गया है किन्तु यह एक अपंजीकृत दस्तावेज है और आर0आर0टी0 2019 (1) एस0सी0 पेज 145 एवं आर0आर0टी0 2019 (1) एस0सी0 पेज 332 के अनुसार अपंजीकृत तहरीर के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अधीनस्थ परीक्षण न्ययालय ने प्रकरण में विस्तार से विवेचन करते हुये तनकीवार निर्णय पारित किया है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस निर्णय को विधिवत रुप से पुष्ट किया है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हैं और न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2004 (2) एच0सी0 पेज 924 एवं आर0आर0टी0 2014-15 (सप्ली) एच0सी0 पेज 401 के अनुसार समवर्ती निर्णयों में बिना किसी ठोस आधार व कारण के हस्तक्षेप उचित नहीं है।

9- फलतः प्रकरण में निहित तथ्यों व विधिक परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त विवेचन अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार की विधिक भूल प्रतीत नहीं होने से, द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपील सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष